Housing and Land Rights Network

संयुक्त बस्ती समिति
झारखण्ड

जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें ?

एक पुस्तिका

जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें ?

मूल विषयवस्तु (अंग्रेजी) : शिवानी चौधरी, अब्दुल शकील, स्पंदना बत्तुला

अनुवाद : महेन्द्र बोरा (9910406059)

साभार : जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें
आवास और भूमि अधिकार संगठन, नई दिल्ली

प्रकाशक :
संयुक्त बस्ती समिति, झारखण्ड
चौथा फेज के सामने, आदर्शनगर, सोनारी, जमशेदपुर - 831 011
फोन : 0657-2314098
ई-मेल : ases.mailbox@gmail.com
वेबसाइट : www.asesjsr.org

मुद्रक :
अनिता प्रिंटर्स
3/98, काशीडीह, साकची,
जमशेदपुर - 831 001, झारखण्ड
Mob.: 094313 30299
E.mail : anitaprinters92@gmail.com

जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें ?

एक पुस्तिका

Housing and Land Rights Network

संयुक्त बस्ती समिति, झारखण्ड
चौथा फेज के सामने, आदर्शनगर, सोनारी, जमशेदपुर – 831 011

विषय-सूची

1.	परिचय	4
2.	उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार का क्या तात्पर्य है?	8
3.	जबरन बेदखली क्या है?	11
4.	जबरन बेदखली के दौरान कौन से मानवाधिकार प्रभावित होते हैं?	14
5.	जबरन बेदखली की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आपके क्या अधिकार हैं?	16
6.	जबरन बेदखली की स्थिति में भारतीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?	19
	1. भारत का संविधान	20
	2. राष्ट्रीय नीतियां	21
	3. अदालती फैसले	23
7.	बेदखली के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश व मानक क्या हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है?	30
	1. बेदखली से पूर्व	32
	2. बेदखली के दौरान	32
	3. बेदखली के बाद	33
	4. बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश	34
	5. महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश	35
8.	जबरन बेदखली की स्थिति में आपके लिए कौन से समाधान उपलब्ध हैं?	36
	1. उचित एवं त्वरित मुआवजा	37
	2. मुआवजा एवं बहाली	37
	3. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन	38

विषय-सूची

9. जबरन बेदखली को रुकवाने/विरोध अथवा न्याय पाने के लिए उठाये जा सकने वाले कदम 39

1. याचिका/जनहित वाद (पीआईएल) दायर करना 40
2. मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं बेदखली के दस्तावेज 40
3. बेदखली व पुनर्वास से संबंधित सूचना के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील दायर करना 41
4. बेदखली असर आकलन 42
5. तथ्य खोज अभियान (फैक्ट फाइंडिंग) 43
6. सांसदों/विधायकों पर दबाव डालना 43
7. सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित करना 43
8. पत्र लेखन/पोस्ट कार्ड अभियान 45

10. जबरन बेदखली के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर आप किससे संपर्क कर सकते हैं? 46

1. उपयुक्त जिम्मेदार सरकारी अधिकारी 47
2. मानवाधिकार संस्थाएं 48
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 48
4. मीडिया 49
5. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिवेदक 50

11. निष्कर्ष 51

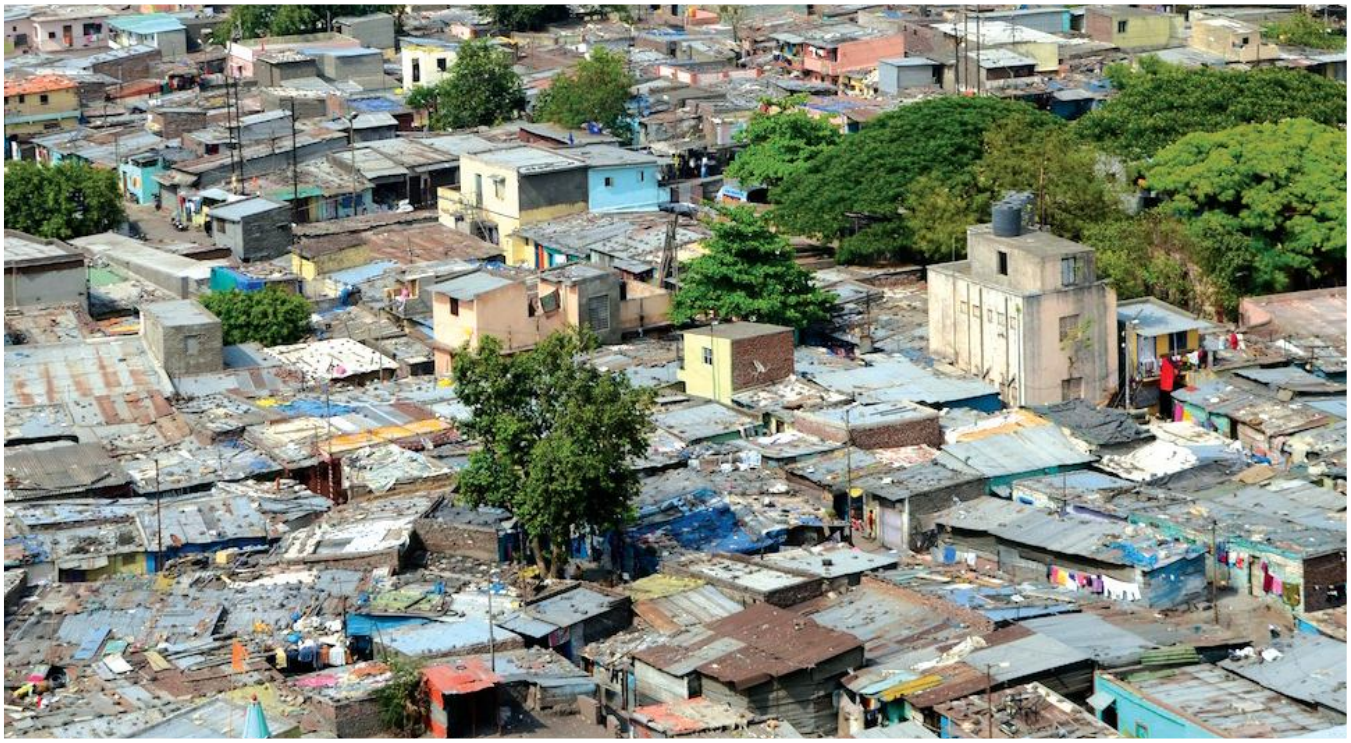

पिछला दशक विश्व भर में जबरन बेदखली में हुई बेतहाशा वृद्धि का गवाह रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशाल आधारभूत संरचनाएं और विकास की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं जिनका बांध निर्माण, खानों एवं बंदरगाहों के निर्माण, शहरों के नवनिर्माण व विस्तार, नगर सौंदर्यीकरण, खेल एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास से सीधा संबंध है। इन तमाम बड़ी परियोजनाओं को लागू करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा पर्यावरण के संरक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनकी वह से आम लोगों तथा विभिन्न समुदायों को उनके घरों एवं पर्यावासों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। समुचित पुनर्स्थापन के अभाव में लोगों के सामने आवास का संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर कष्टपूर्ण पलायन बढ़ गया है और परिणामस्वरूप उनकी पारंपरिक आजीविका को नुकसान पहुंचा है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए कम लागत एवं सस्ते आवास की सरकारी योजनाओं के अभाव की वजह से दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर में राष्ट्रीय शहरी आवास के तहत 2.47 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी थी, जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) में 2.7 करोड़[1] आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान है, जिनमें 99 फीसदी कमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले समूहों से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए कुल 4.7 करोड़ ग्रामीण आवासों की कमी का आकलन किया गया, जिनमें 90 फीसदी संख्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों[2] की बतायी गयी थी।

---

1. शहरी आवास पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (कार्यशील समूह) की रिपोर्ट, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार

2. ग्रामीण आवास पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (कार्यशील समूह) की रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 के मध्य तक भारत की शहरी मलिन बस्तियों की आबादी 15.84 करोड़[3] आंकी गयी है। बड़े महानगरों में अधिसंख्य आबादी मलिन बस्तियों एवं अस्थाई घरों में रहती है।

उक्त रिपोर्ट देश में आवासीय कमी की नाजुक स्थिति को दर्शाती है। देश की ज्यादातर आबादी दयनीय व अपर्याप्त हालातों में कम सुविधा वाले घरों एवं मलिन बस्तियों में रहने को विवश है। नागरिक संस्थाओं व सरकार दोनों के अनुमान के अनुसार मुम्बई महानगर की लगभग 60 प्रतिशत तथा दिल्ली की लगभग 50 प्रतिशत आबादी मलिन व अस्थाई बस्तियों में निवास करती है। उक्त दोनों महानगरों की जो आबादी कम सुविधायुक्त आवासों में रह रही है, यदि उसे भी इन आंकड़ों में शामिल कर लिया जाये तो यह संख्या और अधिक बढ़ जायेगी। ये स्थितियां यही दर्शाती हैं कि देश की शहरी आबादी के एक बड़े हिस्से के पास उपयुक्त आवास और मूलभूत सुविधाओं की अत्यन्त कमी है या फिर इन सुविधाओं तक उनकी कोई पहुंच नहीं है।

मलिन बस्तियों की भूमि उपयोग की अनिश्चितता के कारण और दूसरी तरफ मलिन बस्तियों से मुक्त विश्व–स्तरीय शहरों की संरचना के लिए लगातार गढ़े जा रहे विकास के मॉडल के कारण अक्सर उन लोगों, जो मलिन बस्तियों एवं अस्थाई भूमि में रह रहे हैं, के मन में जबरन बेदखली और अपने घरों के ढहाये जाने का भय सताता रहता है।

उचित लागत के आवासों की कमी, मूलभूत सेवाओं की कमी तथा भूमि उपयोग की समय सीमा पर कानूनी सुरक्षा की कमी – ये भारत में आवास से संबंधित नाजुक मुद्दे हैं। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में भी यह स्वीकार किया गया है कि **'मलिन बस्तियों में आवासीय संरचना का स्तर अत्यधिक दयनीय है। भूमि उपयोग अवधि की कानूनी असुरक्षा इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।'**[4]

3. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए), मलिन बस्ती आंकड़े/जनगणना पर कमेटी की रिपोर्ट, राष्ट्रीय निर्माण संगठन, 2010

4. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, पैरा 1.15

नगरीय अधिकार

'नगरीय अधिकार' के लिए आंदोलन नगरों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर अत्यधिक उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए बेहतर पहुंच एवं अवसर सुनिश्चित कराने के लिए सामाजिक समूहों और नागरिक संस्थाओं जैसे संगठनों के रचनात्मक प्रयासों के फलस्वरूप आगे बढ़ा। विश्व भर में हुए सामाजिक आंदोलन एवं संगठनों ने नगरीय अधिकारों पर एक वैश्विक दस्तावेज विकसित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया, जिसे यूएनईएससीओ (यूनाइटेड नेशंस एजूकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन) और अन्य अनेक संस्थाओं के साथ ही यूएन (संयुक्त राष्ट्र) का भी समर्थन प्राप्त हुआ। दस्तावेज में जीवन निर्वाह के आधारभूत सिद्धांत, लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के बीच नगरों के एक समान उपयोगाधिकार को 'नगरीय अधिकार' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शहर के लोगों और खासतौर से नगरों के असहाय तथा उपेक्षित समूहों का एक सामूहिक अधिकार है जो उन्हें ऐसे कार्य और संगठन की वैधता प्रदान करता है जो उनके प्रचलित रीति-रिवाजों के साथ ही स्वतंत्र दृढ़ आत्मनिर्णय संबंधी अधिकारों के पूर्ण उपयोग और एक यथोचित आवासीय स्तर प्राप्ति के उद्देश्य पर आधारित हो।

इस प्रकार 'नगरीय अधिकार' नगर विशेष के सभी निवासियों का नगर द्वारा प्रदत्त सभी अवसरों/लाभों में समान हिस्सेदारी के अधिकार के साथ-साथ नगरीय योजना एवं विकास संरचना में समान रूप से भागीदारी का अधिकार है।

'नगरीय अधिकार' का यह वैश्विक आंदोलन विभिन्न नगरों के नगर प्रमुखों तक भी पहुंचा है ताकि वे अपने-अपने नगरों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस वैश्विक दस्तावेज को स्वीकार करें। भारत सरकार को भी 'नगरीय अधिकार' को मान्यता एवं प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य करना चाहिए तथा अपने सिद्धांतों को सभी स्थानीय नगरों की विकास परियोजनाओं में शामिल करना चाहिए।

विश्व की अधिकांश आबादी अलग-अलग आकार-प्रकार के घरों में निवास करती है। विश्व जनसंख्या की लगभग आधी आबादी को उपयुक्त आवास के लिए निर्धारित आवश्यक मानकों के अनुरूप आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा इसकी घोषणा में यह भली-भांति सुनिश्चित किया गया है कि आवास मात्र एक छत और चार दीवारों का एक भौतिक ढांचा भर नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक परिकल्पना है, जिसमें तत्वों और अन्य चीजों का पूर्ण समावेश होता है, जो एक सुरक्षित और पक्के आवास स्थल के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त आवास महज एक स्वैच्छिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सभी मनुष्यों का एक मौलिक अधिकार है। वर्ष 1948 में मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जा चुका है, जो उपयुक्त आवास के अधिकार को जीने के उपयुक्त स्तर के लिए एक अभिन्न घटक के रूपमें मान्यता देता है।

मानवाधिकारों पर वैश्विक घोषणा पत्र (यूडीएचआर) का अनुच्छेद 25.1 व्यक्त करता है कि :-

''प्रत्येक व्यक्ति को एक स्तरीय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है जिसमें भोजन, कपड़े, घर, चिकित्सा देखभाल व जरूरी सामाजिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, विधवा होने पर, वृद्धावस्था में अथवा आजीविका की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो, इन सभी स्थितियों में भी उसी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।''

मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र में स्थापित प्रावधानों के आधार पर उपयुक्त आवास के अधिकार को 'आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संधि' (आईसीईएसआर) 1966 द्वारा अधिक सुस्पष्ट, सुदृढ़ एवं विस्तारित किया गया है। इस उपयुक्त आवास के अधिकार को अनुच्छेद 11.1 निम्न प्रकार से व्यक्त करता है :-

वर्तमान संकल्प से संबंधित सभी राज्य पक्ष प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए उपयुक्त स्तर का अधिकार प्रदान करते हैं, स्वयं उसके लिए तथा उसके परिवार के लिए भी। इस अधिकार में उपयुक्त भोजन, कपड़ा व आवास तथा जीने की स्थितियों में सतत सुधार शामिल हैं।

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष प्रतिवेदक ने उपयुक्त आवास के मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए लिखा है :

''प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा व बच्चे को एक सुरक्षित घर प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वह अपने समुदाय में शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सके।''

उपयुक्त आवास का मानवाधिकार सम्मान से जीने की अनुभूति से जुड़ा हुआ है तथा अन्य सभी मानवाधिकारों जैसे भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य, पानी, भूमि का अधिकार तथा घर एवं परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है।

1. उपयुक्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, मिलून कोठारी, ई/सीएन.4/2006/41, 21 मार्च 2006

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति (सीईएससीआर) ने जबरन बेदखली को इस तरह परिभाषित किया है –

''व्यक्तियों, परिवारों अथवा समुदायों को उनके घरों तथा भूमि से, जिसमें वे काबिज हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कानूनी व अन्य सुरक्षा के उचित अवस्थापना के बिना तथा उचित प्रावधानों के बिना स्थाई व अस्थाई रूप से हटा देना।''[1]

विकास आधारित बेदखली व विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत एवं दिशा–निर्देश (2007)[2] जबरन बेदखली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं –

''ऐसी कार्यवाहियां या भूलें जिनमें व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को उनके घरों, और/ या भूमि तथा आम संपत्ति/संसाधनों, जिनमें वे काबिज थे या जिन पर उनकी निर्भरता थी, से जबर्दस्ती या अनिच्छुक तौर पर विस्थापन जबरन बेदखली में शामिल हैं। इस तरह की कार्यवाहियां किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की कार्यक्षमता को कम करती हैं जब उनको किसी विशेष प्रकार के आवास और वातावरण में बिना किसी कानूनी प्रावधान और संरक्षण के रहने को विवश किया जाता है।''

इसके अतिरिक्त दिल्ली **उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2010 में दो फैसलों में यह स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि –

''जबरन बेदखली के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता आया है और लगातार जारी है।''

1. सामान्य टिप्पणी 7, उपयुक्त आवासीय अधिकार (अनुबंध का अनुच्छेद 11.1) : जबरन बेदखली, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की समिति, 1997

2. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, ए/एचआर एस/4/18 फ़रवरी 207
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf. Translations in other languages available at : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx and www.hic-sarp.org

“

मलिन बस्तियों तथा झुग्गी तथा झुग्गी वासियों से संबंधित जबरन बेदखली के पूर्व में लिए गये अदालती निर्णयों के अनुभव एवं उदाहरण दिल्ली शहर में भरे पड़े हैं। असहाय और परेशान नागरिकों को जबरन उनके आशियानों से बेदखल कर बरबाद कर दिया गया और उस पर राज्य के लम्बे हाथ कानूनी परिभाषाओं की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों एवं सुधारों की आड़ लेते हैं जिससे अवैध कब्जों/प्रभावितों को हटाये जाने की कार्यवाही कानूनन जायज ठहरायी जाती है, जबकि शहर में कई अवैध निर्माणों को तथा नियम के विरुद्ध काबिज लोगों को नियमित और सुरक्षित कर दिया जाता है।[1]

”

1. पी. के. कौल बनाम इस्टेट ऑफ़िसर एवं अन्य, रिट पिटीशन (सी) नं. 15239/2004 एवं सीएम नं. 11011/2004, दिल्ली हाई कोर्ट, 30 नवंबर 2010

जबरन बेदखली न सिर्फ उपयुक्त आवास के मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि बहुत से अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्य मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जिसमें सम्मिलित हैं –

- व्यक्ति की सुरक्षा व घर की सुरक्षा का मानवाधिकार
- स्वास्थ्य का मानवाधिकार
- भोजन का मानवाधिकार
- पानी का मानवाधिकार
- काम–धंधा/आजीविका का मानवाधिकार
- शिक्षा का मानवाधिकार
- क्रूरता, अमानवीयता तथा अपमान से मुक्ति का मानवाधिकार
- आंदोलन की आजादी का मानवाधिकार
- सूचना का मानवाधिकार
- आत्म अभिव्यक्ति एवं सहभागिता का मानवाधिकार
- पुनर्वास का मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रस्ताव, 1993/77 में सुनिश्चित किया गया है कि जबरन बेदखली उपयुक्त आवास के अधिकार का प्रथमदृष्टया उल्लंघन है।

International Law

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की अनेक संधियों पर भारत सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। अर्थात ये कानून भारत में प्रभावी हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार व दिल्ली सरकार बाध्य है।

उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार से संबंधित विशेष प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प (1966)[1]
   – अनुच्छेद 11.1

2. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र (1966)[2] –
   अनुच्छेद 2.3 एवं 17

3. सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1965)[3]
   – अनुच्छेद 5

4. बाल अधिकार पर सम्मेलन (1989)[4]
   – अनुच्छेद 27

5. सभी प्रवासी मजदूर एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1990)[5]
   – अनुच्छेद 43.1

---

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संकल्प, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 16 दिसम्बर 1966
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

2. नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संकल्प, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 16 दिसम्बर 1966
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

3. सभी तरह के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 21 दिसम्बर 1965
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/cerdr.htm

4. बाल अधिकारों पर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 20 नवम्बर 1989
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

5. सभी प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 18 दिसम्बर 1990
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

6. शरणार्थियों की सामाजिक स्थिति से संबंद्ध (1951)6
   – अनुच्छेद 21

7. विकलांग लोगों के अधिकारों पर सम्मेलन (2007)7
– अनुच्छेद 28

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र 1966 निर्धारित करता है (अनुच्छेद 11.1) –

> **"यह संकल्प लेने वाली सभी राज्य सत्ताएं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसके लिए और उसके परिवार के लिए जीवन के एक उपयुक्त स्तर के अधिकार की मान्यता प्रदान करती हैं, जिसमें उपयुक्त भोजन, कपड़े एवं घर तथा जीने की स्थितियों में निरन्तर सुधार शामिल है। राज्य सत्ताएं इस अधिकार की अनुभूति को सुनिश्चित करने के लिए तथा इसके प्रभाव को मुक्त सहमति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आवश्यक महत्व दिलाने के लिए समुचित कदम उठाएंगी।"**

6. शरणार्थियों के जीवन स्तर से सम्बद्ध सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 22 अप्रैल 1954
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm
7. अपंग/ असहाय लोगों के अधिकारों पर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 3 मई 2008
वेबसाइट : http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm#